Recently, the NDA Government passed the Central Educational Institutions (Reservation of Teachers' Cadre) Act, 2019, in Parliament to facilitate direct recruitment of faculty from SCs/STs/SEBCs/EWS.

As informed to Parliament, recently, of 6,043 faculty positions across various IITs, only 2.3 per cent belong to SC and 0.3 per cent to ST.

Without stringent implementation of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act to fill up reserved portion of postgraduates and research programmes, further legislation to give reservations in the teaching faculty for the marginalized, will have no meaning.

I request the HRD Ministry to immediately intervene in the matter to enforce strict implementation of the 2006 Act.

Demand to release P.D.S. quota of kerosene to Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का पीडीएस के तहत मिलने वाला केरोसिन कोटा केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। यह नितान्त चिन्ता की बात है। केरोसिन कोटा बन्द करने से पहले राज्य सरकार से कोई राय-मशवरा नही किया गया। जमीनी अध्ययन के बिना उठाये गये इस कदम के प्रभाव से बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारक दो-जून की रोटी चूल्हे पर नही बना पा रहे हैं। वे बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह नही माना जा सकता कि जिन्हें गैस सिलेंडर मिल गया है, उन्हें केरोसिन की आवश्यकता नही है।

छत्तीसगढ़ की आदिवासी, अनुसूचित और बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारक गरीब जनता महँगे गैस सिलेंडर की एकमुश्त कीमत चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही है, इसलिए वह गैस सिलेंडर समय से नही भरवा पाती है। रीफिलिंग आंकड़ों के जरिए इस बात का आभास केन्द्र सरकार को है।

चूँकि पीडीएस के तहत चंद रुपयों और मनमुताबिक मिलने वाले केरोसिन पर गरीब जनता की निर्भरता ज्यादा थी, केन्द्र सरकार द्वारा पीडीएस के तहत जारी होने वाले केरोसिन को बन्द कर देने से गरीबों की समस्याएँ बढ़ी हैं।

अत: सदन के माध्यम से मेरी माँग है कि सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाले पीडीएस केरोसिन कोटे को पुन: पूर्व की भाँति जारी करने का कष्ट करे, धन्यवाद।